पत्र संख्या-चेकपोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था / 0910045 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेकपोस्ट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: अगस्त 28 2009

आदेश

प्रान्त बाहर से प्रान्त के अंदर करयोग्य माल आयात किये जाने हेतु निर्धारित आयात घोषणा पत्र (फार्म 38)को कर निर्धारण अधिकारियों से प्राप्त किये जाने की व्यवस्था के साथ साथ शासन द्वारा आयात घोषणा पत्र को विभागीय वेब साइट से भी डाउनलोड किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसे दिनांक 01-09-09 से लागू किया जाना संभावित है जिसके लिये अधिनियम व नियमों मे आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है । अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 50 सपठित उ0 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर नियमावली 2008 के नियम 56 तथा 78 के उपबन्धों के अधीन मैं कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की अनुसूची एक मे घोषित करमुक्त माल के अतिरिक्त समस्त करयोग्य माल को उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तर प्रदेश के अंदर लाने के लिये निर्धारित फार्म -38 (आयात हेतु घोषणा पत्र) को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिये निम्न व्यवस्था प्रभावी करता हूँ :-

1. पंजीयन की तिथि से एक वर्ष के अंदर नये पंजीकृत व्यापारियों तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 19 (3) में दी गयी व्यवस्था द्वारा निर्धारित आयरन एण्ड स्टील तथा कोयले के व्यापारियों के लिये नकद प्रतिभूति लेकर जारी किये जाने वाले आयात घोषणा पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के करयोग्य माल के आयात हेतु फार्म -38 विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in से डाउनलोॉड कर प्राप्त किया जा सकेगा ।
2. पंजीयन की तिथि से एक वर्ष के अंदर नये पंजीकृत व्यापारियों को तथा उ0 प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा-19 (3) मे दी गयी व्यवस्था द्वारा निर्धारित आयरन एण्ड स्टील तथा कोयले के व्यापारियों के लिये वेब आधारित फार्म-38 प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध नही होगी । उन्हें पूर्व की भॉति एडवान्स टैक्स जमा करने के बाद ही फार्म -38 मैनुअली कर निर्धारण कार्यालय से जारी किये जाएगे ।
3. विभाग मे पंजीकृत वे पात्र व्यापारी जो वेबसाइट से फार्म डाउनलोड की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे वेब साइट पर उपलब्ध यूजर रजिस्ट्रेशन फार्म (फार्म डाउनलोड की सुविधा हेतु आवेदन पत्र) को वेब साइट पर ही भरकर उसका प्रिन्ट आउट डाउनलोड करेंगे । तत्पश्चात उसपर व्यापारी द्वारा अपने हस्ताक्षर करके उसे संबंधित खण्ड कार्यालय मे प्रस्तुंत किया जाएगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र पर वही व्यक्ति हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा जो फर्म के स्वामी / पार्टनर / संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता अथवा कंपनी / कारपोरेशन के डाइरेक्टर हैं तथा जिनके हस्ताक्षर विभाग के फार्म 7 / 8 पर उपलब्ध हैं । उक्त आवेदन पत्र में व्यापारी को अपना ई-मेल का पता दिया जाना आवश्यक है ।
4. संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त फार्म को सत्यापन के उपरान्त उसे जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा नामित विभागीय एडमिनिस्ट्रेटर (नोडल आफीसर) को उपलब्ध कराया जाएगा । विभागीय एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अपने यूजर लागिन तथा पासवर्ड से विभागीय वेबसाइट पर जाकर उक्त फार्म मे अंकित व्यापारी को फार्म 38 डाउनलोड करने की सुविधा एक्टीवेट कर दी जाएगी । इस एक्टीवेशन के तत्काल बाद स्वत: ही कम्प्यूटरजनित पासवर्ड व्यापारी के ई-मेल पते पर प्रेषित हो जाएगा । व्यापारी द्वारा अपने यूजर आई0डी0 (टिन नंबर) तथा पासवर्ड के आधार पर व्यापारी फार्म 38 डाउनलोड कर सकेगा । व्यापारी अपनी सुविधानुसार इस पासवर्ड को परिवर्तित भी कर सकते हैं ।
5. सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर उक्त कार्य हेतु अपने-अपने जोन में स्थित मण्डल कार्यालयों के लिये विभागीय एडमिनिसट्रेटर (नोडल आफीसर) तत्काल नामित कर दें जिसकी सूचना कम्प्यूटर अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
6. व्यापारी को फार्म 38 डाउनलोड करने के लिये माल / वाहन से संबंधित किसी फील्ड को भरने की आवश्यकता नही होगी । केवल डेट आफ डाउनलोडिंग , टिन नंबर , फर्म का नाम व पता तथा कार्यालय को भरकर वह फार्म डाउनलोड कर सकता है तथा शेष सारे फील्ड वह यूटीलाईजेशन के समय भरेगा । फार्म की वैधता उसकी डाउनलोडिंग से 03 माह तक होगी ।
7. व्यापारी को एक साथ डाउनलोडिंग किये जाने वाले फार्मो की संख्या के दृष्टिगत व्यापारी को दो समूहों में बॉटा गया है । प्रथम समूह मे कारपोरेट सर्किल के व्यापारी तथा प्रदेश के 100 बड़े व्यापारी जो कारपोरेट सर्किल के अन्तर्गत नही आते हैं , वह शामिल होंगे जिसकी प्रति दिन फार्म डाउनलोडिंग करने की संख्या पर कोई बंधन नही होगा । दूसरे समूह मे शेष सभी व्यापारी शामिल होंगे जिन्हें प्रति दिन 10 फार्म डाउनलोड करने की सुविधा होगी।

8. व्यापारी के पास अधिकतम 100 अप्रयुक्त फार्म रह सकते हैं । व्यापारी के स्टाक में उससे अधिक अप्रयुक्त फार्म होने पर उसे आगे तभी डाउनलोड किया जा सकेगा जब कम से कम 60 प्रतिशत फार्मो का यूटीलाईजेशन दाखिल कर दें । उदाहरणार्थ यदि कोई व्यापारी प्रति दिन 10 के हिसाब से 10 दिन मे 100 फार्म डाउनलोड कर लेता है तो उसे 101 वॉ फार्म तभी प्राप्त होगा जब वह पूर्व मे डाउनलोड किये गये फार्मो मे से से कम से कम 60 फार्मो का यूटीलाईजेशन दाखिल कर देगा ।

9. वेबसाइट से डाउनलोडेड फार्म 38 का यूटीलाइजेशन रिपोर्ट संबंधित फार्म का माल प्राप्त हो जाने के अधिकतम 7 दिनों के अंदर वेबसाइट पर ही देना होगा । मैनुअली लिये गये फार्मो की खपत का विवरण पूर्व की भॉति कर निर्धारण कार्यालय में देना होगा ।

10. प्रथम चरण मे वेबसाइट से फार्म 38 डाउनलोड करने की व्यवस्था वैकल्पिक होगी अर्थात जो व्यापारी कार्यालय से फार्म प्राप्त करना चाहते हैं वे कार्यालय से फार्म 38 प्राप्त कर सकते हैं तथा जो व्यापारी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं वे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं । दूसरे चरण मे वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त की जा सकती है अर्थात केवल वेबसाइट से ही फार्म 38 डाउनलोड किया जाएगा । इसकी तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी ।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे तथा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आने पर उसका निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनिल संत)
कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0पत्रसंख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उार प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष / निबन्धन उार प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0
3. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उार प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, उार प्रदेश ।
5. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)वाणिज्य कर उार प्रदेश ।
6. एडीशनल कमिश्नर (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ ।
7. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/उ0न्या0कार्य0/सर्वो0न्या0कार्य)वाणिज्य कर उार प्रदेश
8. समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर उार प्रदेश ।
9. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी ,वाणिज्य कर विभाग उार प्रदेश ।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ ।
11. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
12. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद ।
13. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उार प्रदेश ।
14. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद
15. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा ।
16. अध्यक्ष, उार प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ ।
17. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ ।
18. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर
19. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ ।
20. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ ।
21. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर ।
22. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
23. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ ।
24. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ ।

25. आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
26. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
27. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधितज्वाइन्टकमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से।
28. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
29. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
30. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद।
31. श्री मदनमोहन भारतीय, एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन, 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर।
32. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
33. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर।
34. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उार प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
35. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
36. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उार प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर।
37. इन्डियन इंड0एसो0, 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
38. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिकएंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52 नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
39. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा।
40. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
41. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
42. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर।
43. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ।
44. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
45. श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापाारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
46. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ।
47. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ।
48. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।
49. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
50. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।